

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक-प.2(6759)डीओआईटी/संस्था/478-2/15

जयपुर, दिनांक 17/11/2021

कार्यालय आदेश

इस विभाग में कार्यरत राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित सूचना सहायक जिन्होंने दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् अपने पद पर दो वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है, को वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेवल पर वेतन एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम सं.	रोल नं.	सूचना सहायक का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	विभाग का नाम	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परीवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण एवं स्थाईकरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	287591	अकित सिंह नेगी	सेन्टर फॉर एप्लीकेशन डवलपमेंट, सू. प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर	23.09.2019	22.09.2021	23.09.2021
2	298125	चेतना योगी	एपीओ अवधि में कार्यालय सू. प्रौ. और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर में पदस्थापित	28.08.2019 मध्याह्न पश्चात्	28.08.2021	29.08.2021
3	316068	चंचल कुमार जाजोरिया	कार्यालय सू. प्रौ. और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	30.08.2019	29.08.2021	30.08.2021

वित्त (नियम अनुभाग) के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में उपर्युक्त सूचना सहायको का कॉलम सं. 7 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद का शिड्यूल- I (Part-B) की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेवल का न्यूनतम (First cell) की राशि रुपये 26300/- पर नियत किया जाता है। उपर्युक्त सूचना सहायको के नियमितिकरण/स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जावे।

पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 के अनुसार उक्त सूचना सहायकों की आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2022 होगी।

आज्ञा से,


(सुनील छाबड़ा)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. लेखा शाखा, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
5. सम्बंधित सूचना सहायक, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव